

भारत सरकार/**Government of India**  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/**Ministry of Commerce & Industry**  
वाणिज्य विभाग/**Department of Commerce**  
OFFICE OF JT. DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE  
संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय  
KENDRIYA SADAN, 1ST FLOOR, HYDERABAD-500195

सेवा में/To,

मैसर्स/M/s. LASSIB SOCIETY  
NO.5-62/9/22-B, VV NAGAR  
STNO.8 HABSIGUDA  
HYDERABAD 500007

विषय- आयातक-निर्यातक कोड नम्बर आवंटित करना||Allotment of Importer-Exporter Code Number.

प्रिय महोदय/Dear Gentleman,

आपके आवेदन पत्र के सदर्थ में आपको आयातक-निर्यातक कोड संख्या [0912010479] आवंटित किया जा रहा है। कृपया इसकी अच्छी तरह जाँच लें। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे तत्काल इस कार्यालय के ध्यान में लाया जाए।

With reference to your application you have been allotted Importer-Exporter Code No [0912010479] Please check it properly. If there is any discrepancy, it may be brought to the notice of this office immediately.

कृपया पावती दें।/Please acknowledge receipt.

भवदीय/Yours faithfully

संलग्न: यथोपरि।

Enclosure: As above

स्थान:/Place :Hyderabad

दिनांक:/Date :06.08.2012



(R.Roja Rani)

विदेश व्यापार विकास अधिकारी/Foreign Trade Development Officer



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

OFFICE OF JT. DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE

संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय

KENDRIYA SADAN, 1ST FLOOR, HYDERABAD-500195

आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) का प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE OF IMPORTER-EXPORTER CODE (IEC)

- नाम/Name LASSIB SOCIETY
- पता/Address NO.5-62/9/22-B, VV NAGAR STNO.8 HABSIGUDA HYDERABAD 500007
- उस व्यक्ति का नाम व पदनाम जिनका फोटो ग्राफ बैंक सर्टिफिकेट पर चिपकाया गया है।/Name and Designation of the person whose photograph has been affixed on the Bank Certificate  
  
SHILPA ROY KOTA  
SECRETARY  

- ब्रांच/डिवीजन/इकाईका पता, यदि कोई हो  
Address of the Branch/Div./Unit if any  
Branches  
NIL
- आईईसी संख्या/IEC Number 0912010479
- जारी करने की तिथि/Date Of Issue 06.08.2012
- स्थाई खाता सं.(पैन)/PAN AAAAL4675R  
स्थान:/Place :Hyderabad  
दिनांक:/Date :06.08.2012  
  
(R. Roja Rani)  
विदेश व्यापार विकास अधिकारी/Foreign Trade Development Officer

(Issued From File.No./फा0सं0[09/08/130/00198/AM13/ ] से जारी दिनांक dated 02.08.2012)

टिप्पणी/Note: 1. आईईसी धारक के नाम, पता एवं संविधान में किसी भी परिवर्तन के मामले में आईईसी धारक इसी बीच आनुबंघिक परिवर्तन की तारीख से 90 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद आईईसी के मद्दे आयात-निर्यात करने का पात्र नहीं होगा। जब तक ऐसे परिवर्तनों को संबंधित लाईसेंसिंग प्राधिकारी के पास आईईसी में पंथिष्ठ करने हेतु प्रस्तुत करेगा। In case of any change in the Name/Address or Constitution of IEC holder, the IEC holder shall cease to be eligible to Import or Export against the IEC after expiry of 90 days from the date of such a change unless in the meantime, the consequential changes are effected in the IEC by the concerned Licensing Authority.